(24)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 3059–एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 17.02.16 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 129/अ–6/2013–14

आलोक कुमार दुबे तनय काशी प्रसाद दुबे
निवासी – विक्रमपुर तह. राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

1. श्रीमती दया पत्नी श्री राजन्द्र कुमार उर्फ राजाभैया दुबे
   निवासी ग्रा. मलकपुरा मुहल्ला महोबा तह. व जि. महोबा (उ.प्र.)
2. महिपाल सिंह तनय जगत सिंह
   निवासी – विक्रमपुर तह. राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन

आदेश

(आज दिनांक 07/12/17 .....को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 129/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्रामसभा

विकमपुर द्वारा अपने प्रस्ताव कमांक 5 दिनांक 15.04.10 में पारित नामांतरण आदेश के विरुद्ध दिनांक 04.11.11 को अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 24.12.13 द्वारा अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश दिनांक 17.02.2016 द्वारा निरस्त की है। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत अवैध एवं अनुचित है तथा बिना किसी साक्ष्य पर आधारित है। अनावेदक द्वारा जब नामांतरण कराया गया तब उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई जबकि मृतक भूमिस्वामी द्वारा आवेदक के पक्ष में वसीयत की गई है। उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का निवेदन किया गया।

4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि यदि आवेदक के पक्ष में कोई वसीयत की गई थी तो उसे तत्समय ही नामांतरण की कार्यवाही करना चाहिए थी वह काफी समय तक उसे अपने पास क्यों रखे रहा। अनावेदकों का नामांतरण होने के बाद उसके द्वारा आपत्ति की गई जो खारिज हुई। वसीयत प्रमाणित नहीं है तथा फर्जी है। यह भी कहा गया कि मृतक भूमिस्वामी की 3 पुत्रियां एवं पत्नि है ऐसी स्थिति में आवेदक को वसीयत किए जाने का कोई कारण नहीं था। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं जिन्हें स्थिर रखा जाना चाहिए।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण नामांतरण का है। विद्वान अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह पाया गया है कि अनावेदकगण मृतक भूमिस्वामी के विधिक वारिसान हैं। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत की मूल प्रति पेश नहीं की गई है। उन्होंने यह भी पाया है कि प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक संपत्ति है जिसमें मृतक भूमिस्वामी राजेन्द्रकुमार दुबे की पुत्रियों काक भी हक है पूरी

भूमि की वसीयत का अधिकार वसीयतकर्ता को नहीं है। उक्त स्थिति में अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष भी विधिसम्मत है कि आवेदक चाहे तो वसीयत के प्रमाणीकरण के लिए सिविल सूट दायर कर सकते हैं। प्रकरण में तथ्यों के संबंधी अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूँ ।

परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर